उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2

संख्या : 24/2016/बी-2-2052/दस-2016-244/2016

लखनऊ : दिनाँक : 27 दिसम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिये द्वितीय अनुपूरक अनुदान की मांगों से सम्बन्धित विधान मण्डल द्वारा पारित विनियोग विधेयक श्री राज्यपाल की स्वीकृति के उपरान्त दिनाँक 27 दिसम्बर, 2016 को उत्तर प्रदेश विनियोग (2016-2017 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-33 सन् 2016) के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है ।

2- अतः वित्तीय वर्ष 2016-2017 के बजट प्रावधानों के सापेक्ष स्वीकृतियाँ जारी करने विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनाँक 22 मार्च, 2016 तथा वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिये अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-20/2016/बी-2-1275/दस-2016-244/2016 दिनाँक 29 अगस्त, 2016 के क्रम में प्रशासकीय विभाग वित्तीय वर्ष 2016-2017 के द्वितीय अनुपूरक माँग में सम्मिलित प्रस्तावों की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

3- वित्तीय वर्ष 2016-2017 की शेष अवधि में व्यय / वास्तविक उपयोग हेतु आवश्यक धनराशि की सीमा तक ही वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जायें ।

4- वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित अन्य दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में शासनादेश दिनाँक 22 मार्च, 2016 तथा 29 अगस्त, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

अनूप चन्द्र पाण्डेय
अपर मुख्य सचिव
एवं वित्त आयुक्त ।

शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या : 24/2016/बी-2-2052(1)/दस-2016-244/2016, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2 प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
6 निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ ।
7 निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
9 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ.प्र. ।
10 वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग तथा उनसे सम्बद्ध अधिकारी ।
11 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
12 गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव, वित्त ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।